"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 436] रायपुर, शनिवार, दिनांक 26 नवम्बर 2016 — अग्रहायण 5, शक 1938

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 26 नवम्बर 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7–19/2015/12. — खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का सं. 67) की धारा 9ख एवं धारा 15 की उप–धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 में निम्नलिखित और संशोधन करती हैं, जो 12 जनवरी, 2015 से प्रभावशील होगा, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों में, –

1. नियम 3 में, उप–नियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

   "(1क) जिला खनिज संस्थान न्यास विलेख का निष्पादन प्ररुप–क में व्यवस्थापक एवं न्यासियों द्वारा किया जायेगा"

2. प्ररुप–क में,–

   (क) शीर्षक के नीचे, निम्नलिखित शब्द, अंक एवं कोष्ठक अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

   "[नियम 3(1क) देखिये]"

   (ख) खण्ड 21 में, उप–खण्ड (2) में, पैरा (झ) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

   "(ञ) जन कल्याण :– राज्य शासन के निर्देश के अनुसार, केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी गतिविधियों से संबंधित कार्यक्रमों एवं योजनाओं के लिये प्रावधान।"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इफ्फत आरा, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 26 नवम्बर 2016

क्रमांक एफ 7-19/2015/12 — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 7-19/2015/12 दिनांक 26 नवम्बर, 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
इफ्फत आरा, संयुक्त सचिव

Naya Raipur, the 26th November 2016

NOTIFICATION

No. F 7-19/2015/12 — In exercise of the powers conferred by Section 9B and sub-section (4) of Section 15 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh District Mineral Foundation Trust Rules, 2015, with effect from 12th January, 2015, namely:-

AMENDMENT

In the said rules,-

1 In rule 3, after sub-rule (1), the following shall be inserted, namely:-

"(1A) District Mineral Foundation Trust Deed shall be executed by the Settlor and Trustees in Form-A"

2 In Form-A,-

(a) below the heading, the following words, figures and parenthesis shall be inserted, namely:-

"[See rule 3(1A)]"

(b) in clause 21, in sub-clause (2), after para (i), the following shall be inserted, namely:-

"(j) Public welfare :- Provision, as per the direction of the State Government, for programmes and schemes related with public welfare activities of the Central Government and the State Government."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
EFFAT ARA, Joint Secretary

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016